सामान्य सेवा विभाग

हमारा संदर्भ: GSD / 11/03/2015 30 .06.2016
विषय: ई-वेस्ट वस्तुओं के निपटान के लिए कोटेशन

महोदय,

भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दर्शाई गई शर्तों एवं निबंधनो पर अनुलग्नक -। में सूचीबद्ध वस्तुओं ई-वेस्ट प्रबंधन एवं निस्तारण नियम 2011 के अनुसार घोष्ित ई-वेस्ट का निपटान करने का इच्छुक है , आपसे अनुरोध किया जाता है कि अनुलग्नक -1 की सभी वस्तुओं के लिए दरें प्रस्तुत करें तथापि आंशिक कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित नियम व शर्तों को पूरा नहीं करने वाली कोटेशन को रदद कर दिया जाएगा।

1. बोलीदाता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं निस्तारण) नियम , 2011 के तहत किसी अन्य राज्य द्वारा ई-वेस्ट के निस्तारण/संग्रहण/भंडारण/परिवहनीय/विनष्टीकरण/रिसाइकिलिंग उपचार एवं निपटान के लिए प्राध्िाकृत किया जायेगा।

2. पुरानी वस्तुओं हेतु कोटेशन लिखे मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन को 25 जुलाई 2016 तक 1500 बजे तक प्रमुख (GSD) तक पहुंच जाना चाहिए यह उसी दिन 1530 बजे खोली जाएगी। निविदाकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।

3. 10,000.00 रुपये की धरोहर राशि या भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट को कोटेशन के साथ संलग्न किया जाए। उक्त राशि कोटेशन की अस्वीकृति की स्थिति में लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि जमा न करने वाले निविदाकर्ता की कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि चेक स्वीकार नहीं किया जाएगे । धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि को सुरक्षा के रूप में ब्यूरो द्वारा रखा जाएगा और पूरा भुगतान में समायोजित किया जाएगा। अन्य पक्षों के मामले में निविदा को अंतिम रूप देने के बाद वापस किया जाएगा।

5. अनुलग्नक में प्रस्तावित वस्तुएं 11 जुलाई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक ब्यूरो परिसर में निरीक्षण किया जा सकता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के निस्तारण स्टोर में रखा है।

6. सफलतम निविदाकर्ता को अग्रिमत: पूर्ण भुगतान करके कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस को 07 दिनों के भीतर माल की डिलीवरी लेनी पडेगी ऐसा करने से चूकने पर धरोहर राश्ि जब्त कर ली जायेगी ।

7 हमारे स्टोर से आइटम हटाने की प्रक्रिया में निविदाकार्ता की ओर से या उनके प्रतिनिधियों की वजह से लापरवाही के कारण ब्यूरो की किसी भी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और नुकसान की रकम निविदाकर्ता से वसूली जाएगी ।

8. ई-वेस्ट प्रबंधन एवं निस्तारण नियम 2011 के अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रीसाइक्लिंग / पुनर्प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए " जहां है जैसा है के आधार पर" निविदाकर्ता को सारी सामग्री का निपटान करना पडेगा या हटाना होगा ।

9. यदि कोई स्िथति पैदा हो जाती है तो बीआईएस के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरक्षित है।

10 प्रेषण के बाद कोटेशन में देरी , क्षति एवं गैर-प्राप्ति के लिए ब्यूरो की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

11. किसी भी विवाद के मामले में ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

प्रमुख (GSD)

अनुलग्नक:यथोक्त

GENERAL SERVICES DEPARTMENT

Our Ref: GSD/11/03/2016 **30.06.2016**
Subject: Quotation for Disposal of e-waste items.

Dear Sir(s),

Bureau of Indian Standards intends to dispose-off the items {declared e-waste as per e-waste (management & handling) Rule, 2011} listed in the Annexure-I, on the terms and conditions mentioned below. You are requested to submit rates for the lot i.e. for all items of Annexure-I. However, partial quotation would not be accepted. Quotation not meeting the following terms & Conditions would be rejected.

1. The bidder shall be authorized for handling/collection/storage/transportation /dismantling/recycling/treatment and disposal of e-waste by State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of Delhi or any other State under **'e-waste (management & handling) Rule, 2011'**.

2. Quotation in a sealed cover superscripted "Quotation for obsolete items" should reach Head (GSD) latest by 1500 hours on **25th July 2016.** The same shall be opened at 1530 hrs on the same day. Tenderer or his authorized representative may be present at the time of opening of the quotation.

3. Earnest money of **Rs. 10,000.00** (Rs. Ten thousand only) through Demand Draft in favour of **Bureau of Indian Standards, New Delhi,** should be enclosed with the Quotation. The said amount shall be refunded in the event of non-acceptance of the quotation. The quotation of such tenderer who do not deposit the Earnest Money shall be rejected. However CHEQUES SHALL NOT BE ACCEPTED. No interest shall be payable on Earnest Money.

4. The Earnest Money deposited by successful tenderer shall be retained by the Bureau as security and would be adjusted against the full payment. For other parties, it shall be refunded after finalization of the tender.

5. The items offered in Annexure may be inspected at the Bureau premises on from **11th July 2016 to 15th July 2016** which are kept at Disposal Store of Bureau of Indian Standards.

6. The successful tenderer shall have to take delivery of material within **07 days** on any working day during office hours against full payment in advance failing which, the earnest money deposited will be forfeited.

7. In the process of removing the items from our store, the tenderer will be responsible for loss of any property of the Bureau due to negligence on his part or on the part of his representatives and the amount of loss shall be recovered from the tenderer.

8. The tenderer will have to dispose off or remove the entire lot of material “**as is where is basis**” to the purpose of recycling/reprocessing of electronic waste following e-waste (Management & Handling) Rule-2011.

9. BIS Reserves the right to reject any or all the tenders if situation so arises with approval of Competent Authority of BIS.

10. The Bureau has no responsibility for delay, lost and non-receipt of quotation after dispatch.

11. In case of any dispute, the decision of the Director General of the Bureau shall be final.

(N Ravi Shankar)
Head (GSD)

Encl: As above

Annexure-I

Rates of Disposal of Computers And Printers

Sl. No.	Description	Quantity	Rate quoted by party for lot (Rs.)
1.	HCL Computers	87	
2.	Printers	37	

Signature________________________

Name & Address___________________

____

____

Telephone No.___________________

Date_____________________________

Seal of the Firm